*स्पीड पोस्ट/ निबंधित डाक एवं ई-मेल

पत्रांक-2ब०/ना०सु०-03-29/2013(पार्ट-I) 220 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक-20/2/2020

विषयः- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ई-सेक्टर पार्क पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्य, उनके रख-रखाव एवं प्रबंधन के लिए राशि ₹104.641 लाख (एक करोड़ चार लाख चौसठ हजार एक सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः- स्वीकृत।

विभागीय पत्रांक- 2277, दिनांक- 03.05.2019 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ई-सेक्टर पार्क पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना के रख-रखाव हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक - 2730, दिनांक-02.08.2019 द्वारा ई-सेक्टर पार्क पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्य, उनके रख-रखाव एवं प्रबंधन से संबंधित प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹104.641 लाख (एक करोड़ चार लाख चौसठ हजार एक सौ रु०) मात्र पर योजना की स्वीकृति हेतु स्कीम स्क्रीनिंग समिति की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

2. उक्त के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ई-सेक्टर पार्क पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना के निर्माण में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्य, उनके रख-रखाव एवं प्रबंधन के लिए राशि ₹104.641 लाख (एक करोड़ चार लाख चौसठ हजार एक सौ रु०) मात्र की निम्न तालिका के स्तम्भ- 06 के अनुरूप तत्काल वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	पार्क का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना नगर निगम	ई-सेक्टर पार्क पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	104.641	104.641	40.00	64.641

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत कुल ₹40.00 लाख (चालिस लाख रु०) मात्र के **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) तथा पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि पटना नगर निगम के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का हस्तांतरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी का किया जाएगा।***

4. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रु०) मात्र की निकासी स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या– 48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01– राज्य की राजधानी का विकास–लघु शीर्ष– 053–रख–रखाव तथा मरम्मत–उप शीर्ष– 0001–बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क, विपत्र कोड– **48-2217010530001,** विषय शीर्ष– 0001.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना, नगर निगम, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

(ii) उक्त योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का नाम, मद, उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iii) स्वीकृत राशि से अधिक की योजना किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जायेगी।

(iv) राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि उक्त योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय–समय पर किया जाएगा।

(vi) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(vii) **विभागीय पत्रांक– 2554, दिनांक– 07.04.2017 के अनुरूप उक्त 01 पार्क के बोर्ड पर पटना नगर निगम तथा नगर विकास एवं आवास विभाग का नाम भी अंकित कराया जाएगा।**

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्कीम स्क्रीनिंग समिति के दिनांक– 06.02.2020 को आयोजित बैठक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०सु०–03–29/2013 (पार्ट–I) के पृष्ठ सं०–61/टि० पर दिनांक–17.2.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–63/टि० पर दिनांक–19.2.20 को प्राप्त है ।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल,/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/ना०सु०–03–29/2013 (पार्ट–I) 220 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक 20/02/2020

प्रतिलिपि:– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार/संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.2.2020

सरकार के विशेष सचिव।